पत्र संख्या-BSDM/प्रचार प्रसार-42/2016- 451

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग,

बिहार कौशल विकास मिशन

प्रेषक,

दीपक कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार कौशल विकास मिशन ।

सेवा में,

प्रधान सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
प्रधान सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग
प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग
प्रधान सचिव, कृषि विभाग
प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग
प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग
प्रधान सचिव, उद्योग विभाग
प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग
सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
सचिव, ग्रामीण विभाग विभाग
सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग
महानिरीक्षक, कारा सेवाऐं
सचिव, अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग

पटना, दिनांक- 19/9/2016

विषयः- प्रशिक्षण प्रदाता एजेंसी के पंजीकरण के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बिहार कौशल विकास मिशन की अधिसूचना संख्या-339 दिनांक-23.08.2016 का संदर्भ ग्रहण करना चाहेंगे, जिसके द्वारा बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा राज्य में कौशल प्रशिक्षण हेतु समरूप प्रक्रियात्मक एवं दर मानक निर्धारित करते हुए Process एवं Cost norms निर्गत किया गया है तथा इसकी प्रति कौशल प्रशिक्षण से संबद्ध सभी विभागों को परिचारित किया गया है ।

बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा Process एवं Cost norms निर्धारित कर लिए जाने के पश्चात कौशल प्रशिक्षण से संबद्ध सभी विभागों के द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन आवश्यक है तथा Process एवं Cost norms के आधार पर हीं सभी विभागों को अपना प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना है । कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम में एकरूपता लाने के उद्देश्य से दिनांक- 01 जनवरी, 2017 से इसे पूरे राज्य में लागू किया जाना आवश्यक है ।

बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों में तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु कौशल विकास केन्द्रों का Online पंजीयन 10 सितम्बर, 2016 से प्रारम्भ किया जा चुका है तथा इससे संबंधित विज्ञापन राज्य के सभी प्रमुख समाचार पत्रों में दिनांक-10.09.2016 को प्रकाशित किया गया है ।

पंजीयन की अंतिम तिथि दिनांक–25 सितम्बर, 2016 निर्धारित की गयी है ।

बिहार कौशल विकास मिशन की अधिसूचना संख्या–339 दिनांक–23.08.2016 से निर्गत Process एवं Cost norms के अनुसार राज्य में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाने हेतु सभी प्रशिक्षण प्रदाता एजेंसी को कौशल विकास मिशन के साथ पंजीकृत होना आवश्यक होगा । यदि प्रशिक्षण प्रदाता एजेंसी बिहार कौशल विकास मिशन के साथ पंजीकृत नहीं होते हैं तो वे राज्य में केन्द्र प्रायोजित या राज्य सम्पोषित किसी प्रकार के कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन नहीं कर पायेंगे ।

अतः अनुरोध है कि अपने विभाग से संबद्ध सभी प्रशिक्षण प्रदाता एजेंसी को अनिवार्य रूप से बिहार कौशल विकास मिशन के साथ दिनांक–25.09.2016 के पूर्व पंजीकृत होने की सूचना अपने स्तर से देने की कृपा की जाये ।

विश्वासभाजन,

19/9/16

सरकार के प्रधान सचिव–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार कौशल विकास मिशन ।